रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

आम सूचना

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना सरोना, रायपुरा, हीरापुर के अन्तर्गत विगत 16-17 वर्षों में किश्त जमा नहीं करने के कारण अधिक राशि बकाया हो जाने के कारण अंतिम नोटिस देकर राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया था।

रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मण्डल के निर्णय उपरान्त हितग्राहियों को 04 माह के भीतर समस्त बकाया राशि का भुगतान करना होगा। उक्त हितग्राहियों को जो कि माह सितंबर, अक्टूबर 2026 में मासिक किश्तों में 25-25 प्रतिशत का भुगतान करेंगे उन हितग्राहियों को नवंबर माह के बकाया राशि के सरचार्ज में छूट देने के संबंध में विचारणीय होगा।

अतः डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना सरोना, रायपुरा, हीरापुर के सभी हितग्राही, जल्द से जल्द मासिक किश्तों का भुगतान कर प्राधिकरण के निर्णय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 तक है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी